BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 29 अगस्त 2023, **थाना सलेमपुर**

कुख्यात/गैंगस्टर अपराधी द्वारा अपराध कारित करके सृजित सम्पत्ति कीमत लगभग 19.20 लाख रुपये कुर्क की गयी-

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 29-08-2023 को क्षेत्राधिकारी शिकारपुर, नायब तहसीलदार सदर मय राजस्व टीम व थानाध्यक्ष सलेमपुर मय पुलिस टीम द्वारा कुख्यात/गैंगस्टर **अमजद पुत्र बन्नेखां निवासी ग्राम चिरचिटा उर्फ चिट्टा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर** द्वारा समाज विरोधी क्रिया-कलाप कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त कर सृजित/क्रय की गयी चल/अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 19.20 लाख रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है।

जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-

1- 01 मकान (क्षेत्रफल 126.73 वर्ग मीटर)
2- 01 मोटरसाइकिल केटीएम
3- कुल कीमत 19.20 लाख रुपये।

अभियुक्त अमजद का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-72/2017 धारा 66 सी आईटी एक्ट थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
2- मुअसं-386/2017 धारा 60 आबाकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-203/2018 धारा420,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
4- मुअसं 269/18 धारा 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-332/2018 धारा 66 सी आईटी एक्ट थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-354/2018 धारा 66 आईटी एक्ट थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-672/2018 धारा 420 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-673/2018 धारा 420 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं-1100/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं-767/22 धारा 420,379 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
11. मुअसं-161/2022 धारा 399,420,465 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं-264/2022 धारा 399,420,465 भादवि थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
13. मुअसं-165/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

कार्यवाही करने वाली प्रशासन/पुलिस टीम का विवरण-

1- श्री वरुण कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी शिकारपुर
1- श्री पम्मी चौधरी थानाध्यक्ष सलेमपुर मय पुलिस टीम।
3- श्री ललित नारायण नायब तहसीलदार सदर मय राजस्व टीम।

कुर्की आदेश / नोटिस

मा.न्यायालय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद बुलन्दशहर वाद संख्या – 2468/2023 कम्प्यूटरीकृत संख्या D 202311170002468 अन्तर्गत धारा 14 (1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, आदेश दिनाँक 26.08. 2023, अभियुक्त अमजद पुत्र बन्ने खाँ निवासी ग्राम चिट्टा उर्फ चिरचिटा थाना सलैमपुर जनपद बुलन्दशहर गैंगेस्टर अभियुक्त अमजद उपरोक्त द्वारा कई वर्षों से लगातार अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ति अर्जित की है। अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का विवरण के टी एम (KTM) मोटर साईकिल यू.पी. 13 बी डी 5403 कीमत करीब 1,20,000 रूपये (एक लाख बीस हजार रूपये) एवं एक प्लॉट / मकान कीमत करीब 18,00,000 रूपये (अट्ठारह लाख रूपये) जो ग्राम चिट्टा उर्फ चिरचिटा थाना सलैमपुर जनपद बुलन्दशहर में स्थित है। अतः

उक्त 19 लाख 20 हजार सभी सम्पत्ति न्यायहित में धारा 14 (1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नियमानुसार जब्त की जाती है।

आदेशानुसार – श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद – बुलन्दशहर

मीडिया सैल बुलन्दशहर